

PG (MD/MS) COURSE

OFFICE OF THE DEAN

**LATE BALIRAM KASHYAP MEMORIAL GOVT. MEDICAL COLLEGE
DIMRAPAL, JAGDALPUR (CHHATTISGARH)**

**ORIGINAL DOCUMENT REQUIRED FOR ADMISSION IN PG (MD/MS) COURSE
ALL INDIA / STATE QUOTA Candidate (Admission Year 2025-26)**

1. Allotment Letter
2. Admit Card Pre-PG NEET exam.
3. Rank Letter (Which contained Percentile data)
4. Score Card (Pre- PG NEET exam)
5. Relieving Letter (for Candidate who previously admitted in other institute in 1st allotment and allotted seat for this Institute in 2nd allotment)
6. Mark sheet of Class 10th or Birth Certificate
7. Mark sheet of Class 12th
8. MBBS all Mark sheets
9. Internship Completion Certificate
10. MBBS Degree
11. Medical Council Registration Certificate
12. Transfer Certificate
13. Character Certificate
14. Migration Certificate (Affidavit if not available)
15. Nationality/Domicile Certificate
16. Caste Certificate (Central Caste Certificate for AIQ admission)
17. 06 Passport Size Color Photograph (NEET PG)
18. Rural Service Bond (as per CG PG admission Rules) (250 Rs)
19. Course Breakage Bond (as per CG PG admission Rules) (250 Rs)
20. College Affidavit (50 Rs)
21. Medical Fitness
22. 2 sets photocopies of above all Certificates and documents with self- attest.
23. Disability Certificate if applicable (For PH Candidate)

Fee:- Total Fee Rs. 80,000/-

**Demand Draft - in favor of "Autonomous Society , Late Baliram Kashyap Memorial Govt. Medical College Dimrapal Jagdalpur) &
Online Payment- Available**

(P.S.- These original documents will be preserved in the college office till completion of course. It is advisable to submit document on laminated file folder (16- 20 Leaves)

DNB COURSE

OFFICE OF THE DEAN

**LATE BALIRAM KASHYAP MEMORIAL GOVT. MEDICAL COLLEGE
DIMRAPAL, JAGDALPUR (CHHATTISGARH)**

**ORIGINAL DOCUMENT REQUIRED FOR ADMISSION IN DNB COURSE
(Admission Year 2025-26)**

1. Allotment Letter
2. Admit Card Pre-PG NEET exam.
3. Rank Letter (Which contained Percentile data)
4. Score Card (Pre- PG NEET exam)
5. Relieving Letter (for Candidate who previously admitted in other institute in 1st allotment and allotted seat for this Institute in 2nd allotment)
6. Mark sheet of Class 10th or Birth Certificate
7. Mark sheet of Class 12th
8. MBBS all Mark sheets
9. Internship Completion Certificate
10. MBBS Degree
11. Medical Council Registration Certificate
12. Transfer Certificate
13. Character Certificate
14. Migration Certificate (Affidavit if not available)
15. Nationality/Domicile Certificate
16. Caste Certificate (Central Caste Certificate for AIQ admission)
17. 06 Passport Size Color Photograph (NEET PG)
18. Course Breakage Bond (as per CG PG admission Rules) (250 Rs)
19. College Affidavit (50 Rs)
20. Medical Fitness
21. 2 sets photocopies of above all Certificates and documents with self- attest.
22. Disability Certificate if applicable (For PH Candidate)
23. Any Other Documents.

Fee Payable directly to NBEMS by the candidates joining a NBEMS Seats

(P.S.- These original documents will be preserved in the college office till completion of course. It is advisable to submit document on laminated file folder (16- 20 Leaves)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प-पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(राज्य कोटे से छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य - शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।
2. यह कि मुझे वर्ष में आयोजित "NEET" प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में शैक्षणिक सत्र में सीट आवंटित की गई है।
3. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूँ।
4. यह कि वर्ष की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक **RULE-801/205/2025-MED.** नवा रायपुर अटल नगर दिनांक **06 नवम्बर 2025** छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भाँति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका **15** जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारी दी गई है, जिसे मैंने भली-भाँति समझा लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।
5. मैं एतद् द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ कि मैं एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूँगा/करूँगी।
6. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होना की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रुपये शब्दों में (रुपए) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।
7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

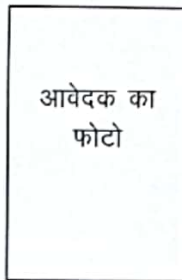
8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा।
9. एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के बारह माह के भीतर यदि छ.ग. शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियुक्ति ओदश जारी नहीं करते हैं तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

गवाह :-

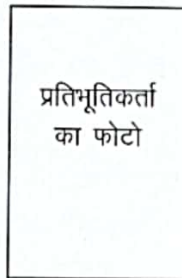
हस्ताक्षर

1.हस्ताक्षर
2.हस्ताक्षर

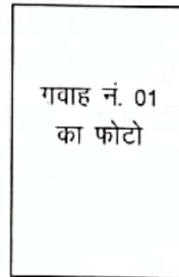
आवेदक / निष्पादनकर्ता



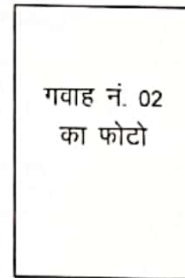
आवेदक



प्रतिभूतिकर्ता



गवाह 01



गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर
प्रतिभूतिकर्ता

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प-पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र/पुत्री आत्मज/आत्मजा
श्री निवासी
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी./एम.एस.) में
प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना **RULE-801/205/2025-MED.** नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06 नवम्बर 2025 "छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम - 2025" को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।
2. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूं।
3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्नतः शर्तों पर निष्पादित करता हूं कि :-

"यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC)/चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त शिक्षण सत्र हेतु एम.डी./एम.एस. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रवेशित सी का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा रु. 25 लाख (रु. पच्चीस लाख) अनारक्षित वर्ग हेतु एवं रु. 20 लाख (रु. बीस लाख) आरक्षित वर्ग हेतु शासन को अभ्यर्थी द्वारा देय होगा "

पता

फोन नं.

अभिभावक

अभिभावक का
फोटो

गवाह नं. 01
का फोटो

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी उपरोक्तानुसार
शपथ पत्र के उल्लघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह :-

1.

2.

प्रतिभूतिकर्ता

हस्ताक्षर

गवाह नं. 01
का फोटो

गवाह नं. 02
का फोटो

AFFIDAVIT

I S/O ,D/O Aged.....Years/ Male/Female

R/o Village- Tah-..... Dist-

Solemnly affirms and state an oath as under:-

1. The certificates and document which I am submitting at the time of admission in this institute is true and correct.
2. I would not involve in any ragging activity in any manner & obey all rules and regulation of institute
3. That in case, the Declaration/Certificate & Document given by me or any part of it is found to be false, then my admission will be cancelled automatically without any further information by Dean/DME/Govt. of Chhattisgarh and fees being forfeited.

Deponent

VERIFICATION

I S/O D/O Aged.....Years/ Male/Female

R/o Village- Teh-..... Dist-State.....,

Do hereby declare on oath that the contents of pare No. 1,2,3, are and correct to the best of my knowledge and belief. Verified at Jagdalpur and signed.

Witness

1.

2.

Deponent